अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम) की ओर से
प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े पर लगाए गए झूठे आरोपों को ख़ारिज करने के लिए ऑनलाईन याचिका

प्रति,

1. भारत के राष्ट्रपति
2. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
3. भारत के प्रधानमंत्री
4. केंद्रीय गृहमंत्री

विषय – प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े पर लगाए गए झूठे आरोपों को ख़ारिज करने की अपील

हम सभी अधोहस्ताक्षरित, सुप्रीम कोर्ट द्वारा **प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े** – अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअम) अध्यक्ष मंडल के सदस्य व गोआ इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेनेजमेंट में बिग डाटा एनालिटिक्स के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर और आईआईएम-अहमदाबाद से प्रबंधनशास्त्र में शिक्षित व आईआईटी-खड़कपुर के पूर्व प्रोफ़ेसर – की अग्रिम जमानत ख़ारिज करने के फ़ैसले से स्तब्ध, आक्रोशित और बेहद निराश हैं। गौरतलब है कि प्रो. तेलतुम्बड़े जाति-वर्ग और सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों के विख्यात विद्वान भी हैं। साथ में एक अग्रणी जनवादी बुद्धिजीवी और लोकतांत्रिक व शैक्षिक हकों के पैरवीकार समाजकर्मी बतौर सम्मानित हैं। लेकिन प्रो. तेलतुम्बड़े पर क्रूर यूएपीए (गैर-कानूनी गतिविधियां निरोधी कानून) के तहत चल रहे प्रकरण में आरोप लगाया गया है कि उनकी कड़ियां प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से जुड़ी हुई हैं।

सन् 2018 में भाजपा/आरएसएस-अभिनीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की केंद्रीय सरकार ने भीमा-कोरेगांव में पेशवाओं के खिलाफ़ हुए जंग की 200वीं सालगिरह के मौके पर दलित संगठनों द्वारा आयोजित ताकतवर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा का इस्तेमाल नागरिक स्वतंत्रता व मानव अधिकारों के अग्रणी पैरवीकार शांतिमय समाजकर्मियों के खिलाफ़ किया था।

जनवरी 1, 2018 को भीमा-कोरेगांव स्मारक पर इकट्ठे हुए विशाल जनसमूह पर प्रतिक्रियावादी ताकतों ने पत्थरबाजी व मारपीट की और स्टॉल जलाए। आज जैसा कि बढ़ते क्रम में आम बात होती जा रही है, पुलिस देखती रही लेकिन किया कुछ नहीं जिससे साफ़ तौरपर उक्त हिंसा में प्रशासन की सहभागिता स्थापित हो गई। व्हाट्सएप्प पर वीडियो में दिखाया गया कि भगवा झंडाधारी लोग हिंदुत्व नेता एकबोटे और भिड़े के नाम पर नारे लगाते हुए दहशत से हतप्रभ दलितों का पीछा कर रहे और उनके साथ मारपीट कर रहे थे। कई लोग घायल हुए, उनके वाहनों की तोड़फोड़ और स्टॉलों की आगजनी की गई।

हिंसा उकसाने के लिए मुख्य ज़िम्मेदारों – समस्त हिंदुत्व अघाड़ी के मिलिंद एकबोटे और शिव छत्रपति प्रतिष्ठान के संभाजी भिड़े, जिन्हें जमानत पर छोड़ रखा है और जिनके खिलाफ़ कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है – को जुर्म से बचाने के लिए पुणे की पुलिस ने 'षड़यंत्र की थ्योरी' गढ़ी। इस 'षड़यंत्र की थ्योरी' में आरोप लगाया गया कि पुणे में एक दिन पहले आयोजित एल्गार परिषद् में वक्ताओं ने उपरोक्त हिंसा उकसाने का काम किया। एल्गार परिषद् का आयोजन पूर्व न्यायमूर्तियों – श्री कोल्से-पाटिल व श्री पी. बी. सावंत – ने किया था लेकिन पुलिसा का दावा है कि उसके पास मौजूद तथाकथित 'सबूत' के मुताबिक आयोजकों की कड़ी प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से जुड़ी हुई है। परिणामस्वरूप, जून 2018 के बाद से कई विख्यात नागरिक स्वतंत्रता समाजकर्मियों व मानव अधिकारों के अधिवक्ताओं को 'माओवादी हमदर्द' बतौर गिरफ़्तार किया गया और वे आजतक यूएपीए के तहत जेल में हैं।

प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े का नाम इस प्रकरण में फरवरी 2019 में दर्ज़ किए गए **पूरक अभियोग पत्र** में जोड़ा गया। वे तो एल्गार परिषद् में मौजूद भी नहीं थे। कहा जाता है कि उनके खिलाफ़ 'सबूत' एक चिट्ठी है जो पुलिस को पहले से गिरफ़्तार एक बंदी के कम्प्यूटर में मिली थी। उस कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क की साइबर अपराधिक वैज्ञानिक पड़ताल से उसमें एक 'मालवेयर' की मौजूदगी उजागर हुई है। यह 'मालवेयर' कम्प्यूटर में दूरस्थ बाहरी स्रोतों द्वारा दखलदांजी की इज़ाज़त देता है जिसके चलते उपरोक्त चिट्ठी वाले तथाकथित 'सबूत' की वैधता ही गहरे शक के दायरे में आ गई है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जांच-पड़ताल एजेंसी (एनआईए) की ओर से पैरवी करनेवाले केंद्रीय सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता – जिन्हें यह प्रकरण पिछले माह ही सौंपा गया जब नवगठित महाराष्ट्र सरकार ने मानव अधिकार अधिवक्ताओं व नागरिक स्वतंत्रता समाजकर्मियों के खिलाफ़ चल रहे इस पुलिस प्रकरण की समीक्षा करने का इरादा ज़ाहिर कर दिया था – ने दावा किया है कि प्रो. तेलतुम्बड़े की हिरासत में पूछताछ 'निहायत ज़रूरी' हो गई है।

यहां पर प्रो. तेलतुम्बड़े की अगली कतार की तकनॉलॉजियों के एक विशेषज्ञ के रूप में पेशेवर उपलब्धियों को रेखांकित करना ज़रूरी लगता है। उन्हें 'डेटाक्वेस्ट' ने तीन सालों से लगातार भारत की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को प्रभावित करनेवाले अग्रणी 20 दिग्गज पेशेवरों में शामिल किया है और कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका पिछले तीन दशकों से देश के तेल व गैस उत्पादन क्षेत्र के विविध आयामों में नवाचारी प्रणालियों को विकसित, डिज़ाइन व लागू करने का स्थापित रिकार्ड है। वे 7 सालों तक एक होल्डिंग कंपनी के सीईओ और उसी अधीनस्थ कंपनियों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं। प्रो. तेलतुम्बड़े 12 सालों तक एक 'फ़ॉर्च्यून 500' कंपनी (बीपीसीएल) रणनीति, कार्यकारी, आईटी रणनीति और खुदरा (रिटेल) संबंधी परिषदों के सदस्य रहे हैं।

प्रो. तेलतुम्बड़े ने 27 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा संपादित पुस्तकों में 50 अध्यायों का योगदान दिया है और व्यापक तौरपर अखबारों, पत्रिकाओं व लोकप्रिय जर्नलों में लिखते रहते हैं। विदेशी जर्नलों में उनके 20 शोधपत्र प्रकाशित हुए हैं और उनके अग्रणी रेफ़री और संपादकीय बोर्डों के सदस्य की भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने शोधपत्र पेश किए हैं। वे भारत और विदेशों के अग्रणी संस्थानों में पूर्व में विज़टिंग प्रोफ़ेसर रहे हैं और आज भी हैं।

प्रो. तेलतुम्बड़े का जन्म महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में एक खेतिहर मज़दूर परिवार में हुआ था। अपनी उत्कृष्ट पेशेवर सफलताओं के बावजूद वे एक अग्रणी नागरिक अधिकार समाजकर्मी और सामाजिक अन्याय व उत्पीड़न की जड़ों के सैद्धांतिक चिंतक के रूप में उत्पीड़ित व दबे-कुचले लोगों के संघर्षों में शामिल रहे और लगातार उनके पक्षधर बने रहे हैं। उनका विवाह बाबासाहेब डॉ. बी. आर. आंबेडकर की नातिन से हुआ है।

पिछले 10 सालों से अभाशिअम के अध्यक्ष मंडल के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में उनकी भूमिका संगठन के लिए बेशकीमती रही है। उनकी प्रेरणा से मातृभाषा में शिक्षा देनेवाली 'मुफ़्त व अनिवार्य समान स्कूल व्यवस्था' के आंदोलन के प्रति बड़ी तादाद में युवा समजकर्मी आकर्षित हुए हैं चूंकि शिक्षा में बराबरी व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का यही एकमात्र ऐतिहासिक विकल्प है।

हम सब, भारत के माननीय राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं कि प्रो. आनंद तेलतुम्बड़े व इसी प्रकरण में अन्य सभी बंदियों पर अनुचित ढंग से लगाए गए झूठे आरोपों को तत्काल प्रभाव से ख़ारिज किया जाए। इसी के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री से भी उम्मीद करते हैं कि वे संबधित अधिकारियों को इस कानूनी प्रक्रिया को मुमकिन बनाने व न्याय सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी मार्गदर्शन व निर्देश ज़ारी करेंगे।